Seventeenth Loksabha

an>

Title: Regarding alleged flouting of environment norms by a company engaged in production of iron and steel products -laid.

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर): राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के उपचार पुर में स्टील और लौह उत्पाद बनाने वाली एक निजी कंपनी द्वारा किए जा रहे खनन नियमों की अवहेलना, ली गई पर्यावरण अनापत्ति से जुड़ी शर्तों की अवहेलना आदि के संबंध में सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए यह अवगत करवाना चाहता हूँ कि उक्त कंपनी द्वारा निकाली जा रही धातु का भौतिक सत्यापन और आवंटित जमीन जिस कार्य के लिए ही आवंटित हुई उसके उपयोग की वर्तमान स्थिति, अनाधिकृत व नियम विरुद्ध उपयोग में ली जा रही जमीन का भौतिक सत्यापन व माइनिंग नियमों के विरुद्ध टेलिंग डेम का निर्माण करने आदि की केन्द्र द्वारा टीम भेजकर जांच करवाना अत्यंत आवश्यक है । उक्त कंपनी ने जो डम्पिंग यार्ड बनाया उससे तालाब खराब हो गया व कंपनी की गतिविधियों से तालाब का जलप्रवाह भी रुक गया जो न केवल पर्यावरण अनापत्ति हासिल करने के मापदंडों की अवहेलना है बल्कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित जगपाल सिंह बनाम पंजाब सरकार व राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णयों की भी अवहेलना है । साथ ही कंपनी द्वारा की गई ब्लास्टिंग में हजारों घरों में दरारे आई और हमेशा आस-पास के क्षेत्र में जान-माल की हानि की आशंका बनी रहती है इसलिए भीलवाड़ा जिले में उक्त कंपनी को खनन सहित अन्य गतिविधियों हेतु जिस शर्तो पर पर्यावरण अनापत्ति दी हुई है उसकी एक-एक बिंदु की जांच केन्द्र की टीम भेजकर जांच करवाने व खनन गतिविधियों में माइनिंग नियमों की अवहेलना की जांच करवाने तथा उक्त कंपनी के विरुद्ध खख्त कार्यवाही करने की आवश्यकता है ताकि एक नजीर पेश हो सके कि केन्द्र ने पर्यावरण, प्रकृति, भू-जल प्राकृतिक जल स्रोतों आदि से खिलवाड़ करने वाले उद्योगों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की है ।